कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

भारत ज्योति
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

पटना–14, दिनांक–........../........./2017

विषय– गया जिला अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, गया नगर के भवन निर्माण हेतु मौजा–कण्डी नवादा, थाना संख्या–189, खाता संख्या–1105/276, खेसरा संख्या–1547, रकवा–1.303088 हे० के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर **जिला कल्याण पदाधिकारी, गया** के पक्ष में सैद्धान्तिक सहमति (Stage–I Approval)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 1636 दिनांक 04.11.2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 25.02.2016 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ गया जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, गया नगर के भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.303088 हे० वन भूमि अपयोजन के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पक्ष में सैद्धान्तिक सहमति (Stage–I Approval) प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) अपयोजित होने वाली 1.303088 हे० वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 8,15,734/– (आठ लाख पन्द्रह हजार सात सौ चौतीस रूपये मात्र) की राशि जमा की जायेगी।

(iii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा (1.303088 हे०) वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि चिन्हित करते हुए पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक बनीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिये तात्कालिक मजदूरी दर पर प्राक्कलित राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को 7 वर्ष के रखरखाव के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। इसका मांग पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(iv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपलब्ध कराये गये गैर वन भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में हस्तारन्तरण एवं दाखिल–खारिज कराया जायेगा।

(v) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा चिन्हित गैर वन भूमि पर सर्वे एवं रेखांकन के पश्चात 4 फीट ऊँचाई का स्थाई, पीलर का निर्माण कर क्षतिपूरक वनीकरण के लिये देय गैर वन भूमि के घेरान का राशि भुगतान किया जायेगा।

(vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं सभी तरह के फंड की राशि को Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in A/C Name CAF Bihar of A/C No. SB01025201 in Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) अथवा SB A/C No. 344902010105410 of Union Bank of India, Sunder Nagar, नई दिल्ली 110003, (RTGS/IFSC No. UBIN0534498) के द्वारा RTGS/NEFT Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर जमा कराया जायेगा। as per the instruction communicated vide letter No. 12-2/2010-CAMPA dated 13.5.2011 and dated 24.06.2011 उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जायेगी।

(vii) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(viii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री को निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(ix) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, गया नगर के भवन निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्ष का पातन या आस–पास के क्षेत्र को वन विकास के क्षेत्र में क्षति नहीं पहुँचाया जाएगा।

(xi) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(xii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।

(xiii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित/विर्निदिष्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xiv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वियन से संबंधित होगा के तहत् अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में मिलने वाले ठोस अवशिष्ट को स्वच्छ पर्यावरण को बनाये रखने हेतु प्रति दिन हटाया जायेगा।

(xvii) उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी आवश्यकतानुसार इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

(xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये इसका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

(xix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य रात्रि में लाईट/आग जला कर नहीं किया जायेगा।

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014; Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153134

(xx) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी, गया) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन / हस्तान्तरण / अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 5.00 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) को यह शक्ति प्रत्योजित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत अन्तिम स्वीकृति (Stage–II Clearance) प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति (Stage–II Clearance) आदेश निर्गत करने के पश्चात् ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– FC .... दिनांक ....
प्रतिलिपिः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची / वन महानिरीक्षक–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड–हॉक कैंपा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– FC .... दिनांक ....
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– FC /63......... दिनांक 07/02/17
प्रतिलिपिः वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल गया / जिला कल्याण पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भारत 7/2/17
(भारत ज्योति)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014; Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153134